झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

पत्रांकः– 01/स्था० (स्थाना०/पद०)–11–2/14......................../राँची दिनांक :................................/

विभागीय अधिसूचना संख्या–7775 एवं 7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा कार्यपालक अभियंता (असैनिक) (नियमित/चालू प्रभार) एवं सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) (नियमित/चालू प्रभार) को स्थानान्तरित करते हुए नव पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया है। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि सम्बन्धित अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करेंगे। परन्तु सम्बन्धित अभियंताओं से प्रभार ग्रहण/प्रभार सौंपने सम्बन्धी प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है।

2. **विभाग को कुछ अभियन्ताओं से/कार्यालय प्रधान से स्थानान्तरण स्थगित करने सम्बन्धी अभ्यावेदन/अधियाचना प्राप्त हुआ है जिसे अस्वीकृत किया जाता है।**

अतः निदेश दिया जाता है कि सम्बन्धित अभियंता दिनांक 23.01.14 तक निश्चित रूप से उक्त अधिसूचना का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

ह०/–

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक–   राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपि–माननीया मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव(दो प्रतियों मे)/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, सांख्यिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रबन्ध निदेशक, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, लि०, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख– I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/प्रबन्ध निदेशक, झालको, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी/वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी संबंधित अभियंता को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करावें।

सभी नियंत्री पदाधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञापांक– 508   राँची, दिनांकः– 21.1.14

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची/ निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.14

(सीता कान्त झा)
सरकार के संयुक्त सचिव (प्र०)

D:\PRAMOD-II\DY.SEC\NOTI.- 14\Adass Noti.doc